अध्याय XVI

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पीएसयूज़ के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में अनुरक्षित लेखाओं और अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया के चरम बिन्दु को प्रदर्शित करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर व्यवस्थापकों से समुचित और समय से उत्तर प्राप्त हों।

लोकसभा सचिवालय ने संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित विभिन्न पैराग्राफों/मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई उपचारी/सुधारक कार्रवाई को दर्शाते हुए समस्त मंत्रालयों को (लेखापरीक्षा द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित) टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (जुलाई 1985)। ये टिप्पणियां विस्तृत जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (सीओपीयू) द्वारा न चुने गए पैराग्राफों/मूल्यांकनों के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। सीओपीयू ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998-99-बारहवीं लोक सभा) में उपर्युक्त अनुदेशों को दोहराते समय सिफारिश की किः

- व्यक्तिगत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) के प्रस्तुतीकरण को मानीटर करने हेतु प्रत्येक मंत्रालय में एक मानीटरिंग सैल की स्थापना करना।

- विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत पीएसयूज की संख्या से संबंधित पैराओं को समावेशित करने वाले प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में एटीएन के प्रस्तुतीकरण को मानीटर करने के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक मानीटरिंग सैल की स्थापना करना; और

- प्रासंगिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छः माह के अन्दर समिति को संसद को प्रस्तुत किए गए सीएजी के समस्त प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित अनुवर्ती एटीएन का प्रस्तुतीकरण।

उपर्युक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते समय सीओपीयू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000-तेरहवीं लोक सभा) में अपनी प्रारम्भिक सिफारिशों को दोहराया कि डीपीई को अलग-अलग उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित अभ्युक्तियों पर अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई उपचारी कार्रवाई को मानीटर करने के लिए अपने स्वयं के डीपीई में एक पृथक मानीटरिंग सैल की स्थापना करनी चाहिए। तदनुसार सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन के प्रस्तुतीकरण पर आगे की कार्रवाई मानीटर करने के लिए अगस्त 2000 से डीपीई में एक मानीटरिंग सैल कार्य कर रहा है। सीएजी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर एटीएन के प्रस्तुतीकरण के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों के अन्दर मानीटरिंग सैलों की भी स्थापना की गई है।

इसके अतिरिक्त, सचिव-समिति की बैठक (जून 2010) में सीएजी लेखापरीक्षा पैराओं तथा पीएसी की सिफारिशों पर लम्बित एटीएन/एटीआर को अगले तीन महीने के अन्दर पूरा करने के लिए विशेष

प्रयास करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को सम्प्रेषित करते समय (जुलाई 2010), वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

लेखापरीक्षा में की गई एक समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयूज़ से सम्बन्धित विगत पाँच वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों/समीक्षाओं पर उपचारी/सुधारक एटीएन जैसा कि **परिशिष्ट-III** में ब्यौरा दिया गया है, समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए थे। 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित क्रमशः 4, 5,7,11 और 44 संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों/समीक्षाओं के संबंध में कोई एटीएन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मई से सितम्बर 2012 के दौरान संसद में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित 47 संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ/समीक्षाएं भी प्रतीक्षित थी।

एटीएन हेतु प्रतीक्षित 118 पैराओं/समीक्षाओं में से 22 पैराग्राफ वित्त मंत्रालय (बैंकिग एवं बीमा डिवीज़न) के पीएसयूज़ से संबंधित थे, 14 पैराग्राफ भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के पीएसयूज़ से संबंधित थे, 13 पैराग्राफ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पीएसयूज़ से संबंधित थे तथा 10 पैराग्राफ रक्षा मंत्रालय के पीएसयूज़ से संबंधित थे।

नई दिल्ली | **(उषा शंकर)**
दिनांकः 10 मई, 2013 | **उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं अध्यक्षा, लेखापरीक्षा बोर्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(विनोद राय)**
दिनांक: 10 मई, 2013 | **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**